

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र0)-462011

क्रमांक एफ 51-02/2009/तीन/13 भोपाल, दिनांक 02/01/2010
प्रति,


कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला-समस्त
(मध्यप्रदेश)

विषय:-त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2009-10 मतदाताओं की पहचान
स्थापित करने के संबंध में ।

पंचायतों के निर्वाचन में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने हेतु 22
दस्तावेज निर्धारित किये गये हैं । यह आदेश मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में
क्रमांक 568 आदेश क्रमांक एफ- 51-2-2004-तीन-1917 दिनांक 24 दिसम्बर,
2004 में अधिसूचित किया गया है ।

आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि लोकसभा/विधान सभा चुनाव की
भौति NREGA (रोजगार गारण्टी योजना) के अन्तर्गत दिनांक 30/11/2009
तक की स्थिति में जारी फोटोयुक्त जाबकार्ड को मतदाता की पहचान के लिए
मान्य किया जाए ।

कृपया इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ।


(अनुपम राजन)
सचिव

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
दूरभाष क्र.0755-2555527